हनुमान सिंह बनाम लिछमण सिंह वगै0

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी रिछपाल सिंह बुरड़क आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या – 01/2018

1. हनुमान सिंह पुत्र लिछमण सिंह, जाति राजपूत, निवासी बांठड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर।
2. लोकेन्द्र सिंह पुत्र शेरसिंह, जाति राजपूत, निवासी बांठड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर।
3. प्रतापसिंह पुत्र महावीरसिंह, जाति राजपूत, निवासी बांठड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर।

.....निगरानीकार

बनाम

1/1 सायरकंवर पत्नि स्व. लिछमण सिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी बांठड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर।

1/2 मानसिंह पुत्र स्व. लिछमण सिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी बांठड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर।

1/3 रतनकंवर पुत्री स्व. लिछमण सिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी बांठड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर।

1/4 रेखाकंवर पुत्री स्व. लिछमण सिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी बांठड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर।

1/5 अन्नुकंवर पुत्री स्व. लिछमण सिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी बांठड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर।

1/6 गीताकंवर पुत्री स्व. लिछमण सिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी बांठड़ी तहसील डीडवाना जिला नागौर।

2. ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत बिंचावा, पंचायत समिति डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर।

.....गैरनिगरानीकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97(1) राजस्थान पंचायत राज अधिनियम बविरूद्ध पट्टा बिना नम्बरी पट्टा/15.02.1994, बहक लिछमण सिंह द्वारा ग्राम पंचायत बिंचावा को निरस्त करने बाबत।

उपस्थित अधिवक्ता–

1. श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़, श्री प्रितम सिंह राठौड़ निगरानीकार की ओर से।
2. श्री हरफूल राव, श्री अशोक भाकर गैर निगरानीकार संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :–29.09.2021

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिंचावा द्वारा जारी बिना नम्बरी भूमि विलेख पट्टा दिनांक 15.02.1994 जो लक्ष्मणसिंह पुत्र सोलसिंह निवासी बांठड़ी

के नाम से जारी है, को निरस्त करवाने बाबत पेश की गयी है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर गैरनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया व ग्राम पंचायत बिंचावा से रिकॉर्ड तलब किया गया।

2. गैरनिगरानीकार संख्या 02 की तरफ से विद्वान अधिवक्तागण श्री हरफूल राव व श्री अशोक भाकर द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जिन्हे शामिल मिसल किया गया।
3. गैरनिगरानीकार संख्या 01/1, 01/2, 01/3, 01/4, 01/5 व 01/6 बावजूद तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।
4. निगरानीकार द्वारा जरिये अधिवक्ता गैरनिगरानीकार के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि :–
   A. ग्राम बांठड़ी के आम गुवाड़ में ठाकुरजी महाराज के मन्दिर के सामने स्थित सार्वजनिक भूमि जिसके उत्तर में पानी की जी.एल. आर. मय नल व खेली, दक्षिण दिशा में गढ़, पूर्व दिशा में आम रास्ता व पश्चिम में आम रास्ता है जो वर्षों से सार्वजनिक चौक के रूप में उपयोग में आ रही है। उक्त भूमि पर गैरनिगरानीकार संख्या 01/1 ता 01/6 के पिता द्वारा जैरनिगरानी फर्जी व कूटरचित पट्टे का हवाला देकर निर्माण शुरू करवा दिया गया।
   B. गैरनिगरानीकार संख्या 01/1 ता 01/6 के पिता के पक्ष में जारी बिना नम्बरी पट्टा दिनांक 15.02.1994 को सरपंच ग्राम पंचायत बिंचावा द्वारा जारी करना बताया है जबकी उक्त अवधि में समस्त राजस्थान की ग्राम पंचायतें सरकार द्वारा भंग कर ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के रूप में ग्राम सेवकों को चार्ज दिया गया था, जिन्हे केवल साधारण प्रकृति के प्रशासनिक कार्य के ही सिमित अधिकार दिये गये थे। उन्हे पट्टे जारी करने के अधिकार नहीं दिये गये थे।
   C. उक्त तथाकथित बिना नम्बरी पट्टा में दिशा का अंकन भी गलत दर्शाया हुआ है। पट्टे में पश्चिम दिशा में गैरनिगरानीकार 01/1 ता 01/6 के पिता की स्वयं की भूमि बताई गई है। जबकी उक्त दिशा में उनके काका किशन सिंह का निकाल पैसार व भूमि है व गैरनिगरानीकार संख्या 01/1 ता 01/6 का भी निकाल पैसारा है। उक्त जैर निगरानी पट्टे में वर्णित भूमि जो सार्वजनिक चौक की भूमि है पर कभी गैरनिगरानीकार संख्या 01/1 ता 01/6 के पिता का कब्जा नहीं रहा है तथा पट्टा बिना नम्बरी होने से मिथ्या व कूटरचित है, इत्यादि–इत्यादि कथन करते हुये पट्टा निरस्त करने का कथन किया गया है।
5. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बिंचावा, पचायत समिति डीडवाना द्वारा अपने पत्रांक 80/2017–18 दिनांक 25.05.2018 द्वारा बिना नम्बरी भूमि विलेख पट्टा दिनांक 15.02.1994 जो लक्ष्मणसिंह पुत्र सोलसिंह निवासी बांठड़ी के नाम से जारी है का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में नहीं होने बाबत न्यायालय को अवगत करवाया गया। जिसे शामिल मिसल किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी जिसमें :–

A. निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बहस में मुख्यतः निगरानी मिमो में किये गये कथनों को ही दोहराते हुये कथन किया कि गैरनिगरानीकार संख्या 01/1 ता 01/6 के पिता के पक्ष में जारी बिना नम्बरी पट्टा दिनांक 15.02.1994 को सरपंच ग्राम पंचायत बिंचावा द्वारा जारी करना बताया है जबकी उक्त अवधि में समस्त राजस्थान की ग्राम पंचायतें सरकार द्वारा भंग कर ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के रूप में ग्राम सेवकों को चार्ज दिया गया था, जिन्हे केवल साधारण प्रकृति के प्रशासनिक कार्य के ही सिमित अधिकार दिये गये थे। उन्हे पट्टे जारी करने के अधिकार नहीं दिये गये थे। उक्त तथाकथित बिना नम्बरी पट्टा में दिशा का अंकन भी गलत दर्शाया हुआ है। पट्टे में पश्चिम दिशा में गैरनिगरानीकार 01/1 ता 01/6 के पिता की स्वयं की भूमि बताई गई है। जबकी उक्त दिशा में उनके काका किशन सिंह का निकाल पैसार व भूमि है व गैरनिगरानीकार संख्या 01/1 ता 01/6 का भी निकाल पैसारा है। उक्त जैर निगरानी पट्टे में वर्णित भूमि जो सार्वजनिक चौक की भूमि है पर कभी गैरनिगरानीकार संख्या 01/1 ता 01/6 के पिता का कब्जा नहीं रहा है तथा पट्टा बिना नम्बरी होने से मिथ्या व कूटरचित है व तत्समय पट्टे बनाने हेतु प्रचलित नियम राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। अतः ग्राम पंचायत बिंचावा द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या 01/1 ता 01/6 के पिता लिछमण सिंह के पक्ष में जारी उक्त बिना नम्बरी पट्टा दिनांक 15.02.1994 को निरस्त किया जावे।

B. गैरनिगरानीकार संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता श्री हरफूल राव व श्री अशोक भाकर ने निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये कथन से सहमती जताते हुये ग्राम पंचायत बिंचावा द्वारा गैरनिगरानीकार संख्या 01/1 ता 01/6 के पिता लिछमण सिंह के पक्ष में जारी उक्त बिना नम्बरी पट्टा दिनांक 15.02.1994 को कूटरचित बताते हुये उक्त पट्टे को निरस्त किये जाने का निवेदन वक्त बहस किया।

7. पत्रावली में उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस में किये गय कथन व प्रस्तुत तर्कों पर मनन पश्चात न्यायालय का यह मत है, कि

A. प्रस्तुत प्रकरण में निगरानीकार द्वारा जिस पट्टे को निरस्त करने बाबत न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है उसकी मूल प्रति अथवा प्रमाणित प्रतिलिपि निगरानीकार द्वारा अथवा ग्राम पंचायत बिंचावा द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है व साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्रांक 80/2017–18 दिनांक 25.05.2018 द्वारा

विलेख पट्टा दिनांक 15.02.1994 से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में नहीं है।

B. गैरनिगरानीकार संख्या 01/1 ता 01/06 जिनके पिता के पक्ष में उक्त जैर निगरानी बिना नम्बरी पट्टा दिनांक 15.02.1994 जारी होना बताया गया है, उनके द्वारा भी न्यायालय में उपस्थित होकर जैर निगरानी पट्टे की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई व न ही पट्टा विधिक रूप से जारी किया गया है, इस बाबत कोई तथ्य प्रस्तुत किये गये। जबकी गैरनिगरानीकार संख्या 01/1 ता 01/06 को न्यायालय द्वारा हस्तगत निगरानी में निगरानीकार द्वारा पक्षकार बनाये जाने पर उन्हे सूचित करने हेतु नोटिस जारी कर अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु विधिक रूप से सूचित किया गया था। इसके उपरान्त भी वे पट्टे के विधिकता के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये जिससे यह प्रतीत होता है कि गैरनिगरानीकार के पास जैर निगरानी बिना नम्बरी पट्टा दिनांक 15.02.1994 जो उनके पिता के नाम से बनाये जाने बाबत कथन किया गया है उससे संबंधित उनके पास कोई विधिक दस्तावेज नहीं है। अतः उक्त जैर निगरानी तथाकथित बिना नम्बरी पट्टा दिनांक 15.02.1994 जो लिछमण सिंह के नाम से जारी होना निगरानी बताया गया है, प्रारम्भ से ही शुन्य है। अतः विधिक रूप से मान्य दस्तावेज नहीं होने से उसकी कोई विधिकता नहीं है व उसके आधार पर यदि गैरनिगरानीकार 01/1 ता 01/6 किसी भी प्रकार का उक्त अविधिक दस्तावेज में अंकित भूमि जो प्रथम दृष्ट्या सार्वजनिक चौक की प्रतीत होती है पर किसी भी प्रकार का दावा किये जाने के अधिकारी नहीं है।

C. ग्राम पंचायत में मूल पट्टे की कार्यालय प्रति व उससे संबंधित ग्राम पंचायत में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से उक्त पट्टे की विधकता स्वतः ही प्रारम्भ से ही शुन्य है।

D. चूँकि **न्यायालय हाजा को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत किसी भी पंचायत राज संस्था या उसकी स्थायी समिति या उपसमिति का उभिलेख, उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मांग कर उसका परिक्षण करने और यदि किसी मामले में यह प्रतीत होता हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो तद्नुसार आदेश पारित करने के अधिकार प्रदान किये गये हैं।** जबकी हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर जैर निगरानी पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पारित विनिश्चय अथवा आदेश से संबंधित मूल दस्तावेज निगरानीकार, ग्राम पंचायत बिंचावा द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं व गैरनिगरानीकार संख्या 01/1 ता 01/6 जो

अतिरिक्त जिला कलक्टर

लिछमण सिंह के विधिक वारिस हैं द्वारा भी न्यायालय द्वारा विधिक रूप से सूचित करने के उपरान्त भी पट्टे की मूल प्रति अथवा अन्य ओर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिस कारण जैर निगरानी पट्टे की विधिकता मूल रिकॉर्ड के आभाव में प्रारम्भ से ही न्यायालय को शुन्य प्रतीत होती है। अतः जैर निगरानी पट्टा जो विधिक दस्तावेजों के आभाव में प्रारम्भ से ही शुन्य प्रतित होता है से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पारित विनिश्चय अथवा आदेश से संबंधित कोई विधिक दस्तावेज पत्रावली पर नहीं होने के कारण उसकी विधिकता के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का विनिश्चय जारी करना उचित प्रतित नहीं होता।

—:आदेशः—

उपर्युक्त वर्णित विवेचन के अनुसार निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी जिसमें निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत बिंचावा के बिना नम्बरी पट्टा दिनांक 15.02.1994 जो लिछमण सिंह के नाम से जारी है, को निरस्त करने का न्यायालय के समक्ष निवेदन किया है वह विधिक दस्तावेजों की उपलब्धता के आभाव में प्रारम्भ से ही शुन्य होने के कारण उक्त पट्टे के संबंध में न्यायालय द्वारा उसे पुनः शुन्य घोषित करने का निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानीकार की निगरानी को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना